सी.सं. 84(140)/निबन्धन/हरिद्वार/2010–11/तक./6337

दिनांक. 25.01.2012

भारत सरकार
(वित्त मंत्रालय)
कार्यालय आयकर आयुक्त
13–ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में,

बेला हेल्थ केयर चैरिटेबल ट्रस्ट,
PAN - AABTB447M
119, मनिराम रोड़, ऋषिकेश,

विषय – आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–कक में निबन्धन हेतु।

न्यास/संस्था का नाम एवं पता. **बेला हेल्थ केयर चैरिटेबल ट्रस्ट, PAN - AABTB447M 119, मनिराम रोड़, ऋषिकेश,** दिनांक **27.07.2011** को न्यास/संस्था ज्ञापन द्वारा गठित उपर्युक्त न्यास/संस्था ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–कक के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु आवेदन दिनांक 10.10.2011 को प्रस्तुत किया है। संस्था को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–कक (1) प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 10.10.2011 से निबंधन स्वीकृत किया जाता है।

2. यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान किया जाता है :–

(क) न्यास/संस्था आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक वर्ष संबधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आयकर रिटर्न दाखिल करे।

(ख) न्यास/संस्था द्वारा कार्यालय में ऑडिटेड एकाउन्ट्स की प्रति प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करने की अंतिम निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत करें।

(ग) यदि न्यास/संस्था के उद्देश्यों में कभी परिवर्तन किया जाता है तो न्यास/संस्था को फिर से धारा 12 क के अन्तर्गत आवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(घ) ट्रस्ट/सोसायटी आयकर अधिनियम की सभी धाराओं का पालन करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित करेगी कि आयकर अधिनियम में उल्लिखित पूर्त प्रयोजन की परिभाषा का उल्लंघन न हो।

(ड़) प्रौजेक्ट रिपोर्ट जो विभाग में दी गयी है उससे लगता है कि यह संस्था मुख्यत महिलाओ की गर्भावस्था सम्बधित बीमारियो और जन्म के समय महिलाओ की जान को खतरे से बचाने के लिये काम करेगी। अगर ऐसा पाया कि यह मात्र किताबी दावा है और मात्र करमुक्ति के लिए स्वास्थ्य सम्बधी काम का तर्क है तो यह निम्बन्धन वापस ले लिया जायेगा। सम्बधित निर्धारण अधिकारी संस्था के चैरिटेबल होने के दावे को मुख्यतः निम्नलिखित कार्यो से जाचेगाः महिलाओ के स्वास्थ के लिये क्या काम किया जा रहा है, कितने अवसरो पर जन्म के समय महिलाओं को डाक्टरी सेवा उपलब्ध कराई गयी और उनकी जान को सुरक्षित रखने के प्रयत्न में क्या खर्चा किया गया और उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कितने दूरस्थ गांवो में संस्था पहुचीं, इन उददेश्यो की पूर्ति न होने पर निबन्धन निरस्त की सिफारिश की जायेगी।

आयकर आयुक्त देहरादून

यदि उपरोक्त पांचो शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन न्यास/संस्था के द्वारा किया जाता है तो यह प्रमाण–पत्र रिटर्न दाखिल करने आथवा ऑडिटेड एकाउन्ट्स दाखिल करने की अंतिम निर्धारित तिथि अथवा न्यास/संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन की तिथि से निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

3. आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखें गये धारा 12–कक के आवेदन रजिस्टर में प्रपत्र संख्या 84/20010–11 पर की गई है।

sd

(डी०.पी०. सेमवाल)

आयकर आयुक्त, देहरादून

मोहर

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. न्यास/संस्था उपरोक्त को सूचनार्थं
2. आयकर अधिकारी–सहायक आयकर आयुक्त/उपायुक्त आयकर/ वार्ड–1, **ऋषिकेश** को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर आयकर आयुक्त, **हरिद्वार** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. .मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित

आयकर आयुक्त देहरादून

(शेर सिंह)

आयकर अधिकारी (तकनीकी)

कृते आयकर आयुक्त, देहरादून